प्रेस नोट
दिनांक 24.11.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अयोध्या ध्वजारोहण कार्यक्रम एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के दृष्टिगत नवाबगंज–अयोध्या बॉर्डर का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, ड्यूटी में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा–निर्देश

गोण्डा। आज दिनांक 24.11.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा, श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 25.11.2025 को अयोध्या में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत नवाबगंज–अयोध्या बॉर्डर का विस्तृत निरीक्षण कर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। कार्यक्रम की संवेदनशीलता, सुरक्षा आवश्यकताओं एवं संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए महोदय द्वारा सुरक्षा तैयारियों, चेकिंग प्वाइंट्स, पुलिस फोर्स की तैनाती तथा रूट डायवर्जन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा बॉर्डर पर लगाए गए बैरियर, सीसीटीवी कैमरों, यातायात मार्गों, एंट्रीदृएक्जिट चेकप्वाइंट्स तथा तैनात सुरक्षा बल की स्थिति का विस्तार से अवलोकन किया गया। महोदय ने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जी के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए आने–जाने वाले सभी वाहनों व व्यक्तियों की सघन चेकिंग अनिवार्य रूप से की जाए तथा सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। महोदय द्वारा लागू रूट डायवर्जन को मौके पर जाकर परखा गया तथा यातायात को सुचारू व सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए साथ ही तैनात पुलिस बल को उच्च सतर्कता, संवेदनशीलता तथा अनुशासन के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हर स्तर पर मजबूत व प्रभावी बनी रहे। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा मोबाइल गश्त, इंटरसेप्शन टीम, चेकिंग पिकेट, ड्रोन निगरानी तथा त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यू0आर0टी0) को सक्रिय रखने के साथ ही भीड़ नियंत्रण, चिकित्सा सहायता, फायर यूनिट एवं अन्य आपात सेवाओं के बीच समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय से अपने निर्धारित प्वाइंट्स पर तैनात रहकर कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराएंगे।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह, थानाध्यक्ष नवाबगंज श्री अभय सिंह सहित अन्य अधिकारीध्कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 24.11.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मूक–बधिर व्यक्तियों के वाहनों को प्राथमिकता दिलाए जाने हेतु अम्बेडकर चौराहे पर विशेष यातायात जागरूकता अभियान संचालित–

गोण्डा। आज दिनांक 24.11.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात माह (नवंबर) के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश सिंह व टीएसआई जगदम्बा गुप्ता द्वारा अम्बेडकर चौराहा, गोण्डा पर विशेष यातायात जागरूकता अभियान संचालित किया गया, जिसके तहत मूक–बधिर व्यक्तियों के वाहनों को प्राथमिकता से रास्ता देने के संबंध में आमजन, वाहन चालकों एवं राहगीरों को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान मूक–बधिर व्यक्तियों के वाहनों पर उनकी पहचान व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष लोगो लगाए गए तथा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम और पम्पलेट वितरण के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों, वाहन संचालन में सावधानी, विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को वरीयता देने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस टीम द्वारा नागरिकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीड एवं गलत दिशा में वाहन चलाने से बचने की सलाह देते हुए सड़क सुरक्षा को सामूहिक दायित्व बताते हुए सहयोग की अपील की गई।

महत्वपूर्ण संदेश–

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें–बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।